635/2022

कार्यालय तहसीलदार नीम का थाना, जिला सीकर (राज0)

क्रमांक : भू.अ./ 2022/6691 दिनांक : 14-11-22

निमित :-

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,

नीम का थाना

विषय :- चालू स्थाई रास्तों के राजस्व अभिलेख में अंकन की कार्यवाही बाबत।

प्रसंग:- राजस्थान सरकार, राजस्व (ग्रुप-6) विभाग का परिपत्र क्रमांक प. 3 (2) राज-6/20013/ पार्ट, जयपुर, दिनांक 10.08.2016

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उपरोक्त प्रासंगिक पत्र एवं परिपत्र की पालना में रास्ते संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु पूर्व तैयारी के रूप में "प्रथम चरण" में चालू स्थाई रास्तों के राजस्व अभिलेख में अंकन की कार्यवाही की जानी है। तहसील क्षेत्र में अनेक रास्ते राजकीय/ निजी भूमि में से चालू है, किन्तु इनका अंकन राजस्व अभिलेख में नही है। स्थायी सार्वजनिक रास्ते वे है जो बारहमासी है तथा मौसम✓ ऋतुओं के अनुसार बदलते नही तथा आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध है। ऐसे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानानुसार किया जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुए है। प्रार्थना पत्रो की बहुलताजन्य जटिलता निवारण हेतु निर्देशित किया गया है कि एक गाव हेतु एक ही आवेदन उपखण्ड अधिकारी के यहां प्रस्तुत किया जावें।

अत उपरोक्तानुसार प्राप्त निर्देशो की पालना में ग्राम सिरोही पटवार मण्डल सिरोही भू.अ.नि. वृत सिरोही के चालू स्थाई रास्तो के राजस्व अभिलेख में अंकन की कार्यवाही हेतु कुल ① एक प्रस्ताव सलग्न कर निवेदन है कि उक्त रास्तों के नामान्तरकरण, पृथक खसरा नम्बर एव रकबा तथा किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज करने एवं लाल स्याही से अंकन हेतु आदेश जारी करने की कृपा करें।

सलग्न : उपरोक्तानुसार।

14/11/22
तहसीलदार
नीम का थाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.30 13:40:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner